जीविका
गरीबी निवारण हेतु बिहार सरकार की पहल

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार

बिहार सरकार

प्रथम तल, विद्युत भवन -2, बेली रोड, पटना – 800 021, दूरभाष :+91-612-250-4980, फैक्स : +91-612-250 4960, ईमेल : : info@brlp.in, वेबसाईट : www.brlp.in

Ref. No. : BRLPS/Proj-IBCB/782/15/2403 **Date:** 04.10.18

कार्यालय आदेश

(जीविका संपोषित निबंधित ग्राम-संगठन एवं संकुल संघ हेतु)

बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का लक्ष्य स्व-निर्भर एवं स्थाई संस्थाओं का निर्माण करना है जिसके माध्यम से लक्षित समूह को सूक्ष्म वित्तीय सहयोग, आजीविका सम्बन्धी कार्यो का विस्तार एवं सरकारी कार्यक्रमों से जुडाव से सम्बंधित कार्यो को निष्पादित किया जा सके। इसके लिए आवश्यक है कि समुदाय आधारित संस्थाओं (ग्राम संगठन एवं संकुल संघ) को वैधानिक अस्तित्व प्रदान करने के लिए उनका निबंधन (उपयुक्त अधिनियम के अंतर्गत) कराया जाय। शुरूआत में 1200 ग्राम संगठन एवं 100 संकुल संघ (संकुल संघ साथ 12 ग्राम संगठनों) का निबंधन बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम 1996 के अंतर्गत किया जाना है। अभी तक 511 ग्राम संगठनों और 7 संकुल संघों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत निबंधित किया जा चुका है, तथा 589 ग्राम संगठनों और 13 संकुल संघों का दस्तावेज निबंधन हेतु संबंधित सहकारिता कार्यालय में जमा है।

कार्यालय आदेश संख्या BRLPS/Proj-IBCB/782/15/579 दिनांक 04.05.2017 के अन्तर्गत सभी जिलों के चयनित ग्राम-संगठन एवं संकुल संघ के निबंधन, जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा निबंधन हेतु दस्तावेजों का सत्यापन, निबंधित ग्राम संगठनों/संकुल संघों का ऑडिट एवं वैधानिक अनुपालन इत्यादि को सुनिश्चित किया जा रहा है। अत: जिला परियोजना प्रबंधक को पुन: निदेशित किया जाता है कि इन कार्यों की प्रगति की मासिक समीक्षा कर इन्हें ससमय पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा चयनित ग्राम संगठन और संकुल संघ का ससमय निबंधन कराने एवं निबंधित ग्राम संगठन एवं संकुल संघ की सुदृढता के लिए जिला परियोजना प्रबंधक एवं प्रखंड परियोजन प्रबंधक को निम्न कार्यो के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक निदेश दिया जाता है –

१. निबंधित ग्राम संगठन एवं संकुल संघ के निदेशक मंडल की नियमित बैठक सुनिश्चित करें जिसमें निम्न बिन्दुओ पर अवश्य ध्यान दें :

(क) गणपूर्ति : बैठक के दिन उपस्थित सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के आधे से अधिक होनी चाहिए।

(ख) बैठक की कार्यवाही : प्रत्येक निबंधित ग्राम संगठन /संकुल संघ एक कार्यवाही पुस्तिका रखेगा, जिसमें बैठक की कार्यवाही लिखी जायगी। कार्यवाही बही पर दिन, समय, स्थान अवश्य लिखा जाना चाहिए। साथ ही उपस्थित सदस्यों का हस्ताक्षर अवश्य होगा।

(ग) निदेशक मंडल की बैठक में प्रतिनिधि इकाई द्वारा प्रस्तावित एजेंडा (वित्तीय एवं गैर-वित्तीय) की समीक्षा उपरांत उसपर निर्णय लिया जायेगा। वित्तीय निर्णय हेतु निदेशक मंडल के लिए मासिक आय-व्यय विवरणी प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

२. ग्राम संगठन/संकुल संघ की बैठक में कम्युनिटी कैडर/ प्रोफेशनल के कार्यों की मासिक समीक्षा एवं मानदेय का भुगतान करना सुनिश्चित करें और जिसका दस्तावेजीकरण कार्यवाही बही/मानदेय बही पर हो।

३. निबंधित ग्राम संगठन एवं संकुल संघ का प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई के साथ एकरारनामा सुनिश्चित किया जाए (Annexure-I &II) । एकरारनामा हेतु स्टाम्प एवं अन्य खर्च ग्राम-संगठन एवं संकुल संघ द्वारा किया जायेगा।

४. जिला परियोजना समन्वय इकाई (DPCU) द्वारा ग्राम संगठनों एवं संकुल संघों के लिए घोषणा प्रपत्र एवं सदस्यता प्रपत्र का प्रारूप की Procurement के नियमानुसार छपाई (Print) करा लें। निबंधित ग्राम संगठनों एवं संकुल संघों के सभी सदस्यों द्वारा घोषणा प्रपत्र एवं सदस्यता प्रपत्र भरा जाना आवश्यक है। उसका एक संचिका में क्रमबद्ध तरीके से दस्तावेजीकरण करना सुनिश्चित करें (Annexure-III) ।

५. जिला परियोजना समन्वय इकाई (DPCU) द्वारा अंश प्रमाण पत्र (Share certificate) के प्रारूप की Procurement के नियमानुसार छपाई (Print) करा लें एवं निबंधित ग्राम संगठनों एवं संकुल संघ के सदस्यों को अंश प्रमाण पत्र (Share certificate) निर्गत करना सुनिश्चित करें (Annexure-IV) ।

६. निबंधित ग्राम संगठनों एवं संकुल संघों का निबंधन प्रमाण पत्र एवं उपविधियों की एक प्रति जिला परियोजना समन्वय इकाई (DPCU), प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई (BPIU) एवं सम्बंधित संकुल संघ के पास रहना अनिवार्य होगा।

७. सम्बंधित ग्राम-संगठन एवं संकुल संघ के निबंधन हेतु दस्तावेजीकरण हेतु, निबंधित ग्राम संगठन एवं संकुल संघ का वार्षिक रिपोर्ट एवं कार्य योजना, एवं वार्षिक विवरणी दाखिल करने हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष सम्बंधित ग्राम-संगठन/संकुल संघ के बुक-कीपर की सेवा ली जाती है। इन कार्यों की सघनता देखते हुए सम्बंधित ग्राम-संगठन/संकुल संघ के बुक-कीपर के लिए निम्नलिखित कार्यो को सम्पादित करने के लिए प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया जा रहा है-

   क) सम्बंधित ग्राम संगठन एवं संकुल संघ के निबंधन हेतु दस्तावेजीकरण के लिए 200 रुपये प्रति ग्राम संगठन/ संकुल संघ (निबंधन उपरांत)।

   ख) निबंधित ग्राम संगठन एवं संकुल संघ का वार्षिक रिपोर्ट एवं कार्य योजना तैयार करने में सहयोग के लिए 100 रुपये प्रति ग्राम संगठन/ संकुल संघ (वार्षिक आम सभा उपरांत)।

   ग) निबंधित ग्राम संगठन एवं संकुल संघ की वार्षिक विवरणी दाखिल करने में सहयोग के लिए 100 रुपये प्रति ग्राम संगठन/ संकुल संघ (ससमय वार्षिक विवरणी दाखिल किये जाने के उपरांत)।

   उपर्युक्त सभी कार्यो के लिए सम्बंधित ग्राम-संगठन/संकुल संघ के बुक-कीपर की प्रोत्साहन राशि का भुगतान सम्बंधित निबंधित ग्राम-संगठन एवं संकुल संघ द्वारा किया जायेगा।

८. सभी जिला परियोजना समन्वय इकाई (DPCU) निबंधित ग्राम संगठन एवं संकुल संघ का वार्षिक ऑडिट सहकारिता विभाग द्वारा अधिसूचित ऑडिटर से कराना सुनिश्चित करें। सम्बंधित ग्राम संगठन एवं संकुल संघ के द्वारा अनुमोदन के आधार पर ऑडिटर के मानदेय का भुगतान किया जाये।

९. निबंधित ग्राम संगठनों/ संकुल संघों की वार्षिक आम सभा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अगस्त माह तक आयोजित करना सुनिश्चित करें, जिसमें निम्न बिन्दुओ पर अवश्य ध्यान दें :

   (क) गणपूर्ति : आम सभा में कुल सदस्यों की संख्या के आधार पर १/५ सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(ख) आम सभा के दौरान किये जानेवाले कार्य : आम सभा के दौरान निम्न कार्य किये जायेंगे :

- उपस्थिति पंजी पर सदस्यों का हस्ताक्षर।
- सदस्यों को नियत स्थान पर बैठने की समुचित व्यवस्था।
- एजेंडा के अनुसार चर्चा एवं उसका अनुमोदन।
- उपस्थित सदस्यों के लिए अल्पाहार की व्यवस्था।

(ग) जिला परियोजना समन्वय इकाई (DPCU) द्वारा प्रत्येक निबंधित ग्राम-संगठन एवं संकुल संघ को वार्षिक आम सभा हेतु 3000 रुपये प्रति निबंधित ग्राम संगठन एवं 10000 रुपये प्रति निबंधित संकुल संघ दिया जायेगा। यह प्रस्तावित व्यय अन्य संचालन व्यय (B2); वार्षिक आम सभा (B2.1.3.2) BPIU के अंतर्गत अगले तीन वर्षो तक (वित्तीय वर्ष: 2018-19, 2019-20, 2020-21) रखा जायेगा।

१०. प्रत्येक निबंधित ग्राम संगठन/संकुल संघ द्वारा वित्तीय वर्ष के सितम्बर माह तक निबंधक के समक्ष वार्षिक विवरणी (Annual Return) निम्न दस्तावेजों के साथ दाखिल करवाना सुनिश्चित करें :-

क) कार्यकलाप का वार्षिक रिपोर्ट

ख) लेखाओं की अंकेक्षण विवरणी

ग) आम निकाय द्वारा यथा अनुमोदित अधिशेष के निपटान की योजना

घ) आम निकाय की सभा की तारीख तथा निर्वाचन से संबंधित घोषणा, इत्यादि।

११. प्रत्येक निबंधित ग्राम संगठन एवं संकुल संघ में अंश धारक प्रमाण पत्र पुस्तिका, निदेशक मंडल की बैठक की कार्यवाही पुस्तिका, मतदाता सूची बही एवं सूचना बही का संधारण अवश्य किया जाए। इस कार्य के अंतर्गत उचित मार्गदर्शन पूर्व के प्रशिक्षण में दिया गया है। इस कार्य हेतु राशि का भुगतान सभी निबंधित ग्राम संगठनों एवं संकुल संघों द्वारा किया जायेगा।

१२. प्रत्येक ग्राम संगठन के लिए कार्यालय का प्रावधान करें ताकि वहाँ सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जा सके। सम्बंधित DPCU द्वारा अगले दो वित्तीय वर्षो (वित्तीय वर्ष: 2018-19 एवं 2019-20) तक प्रत्येक निबंधित ग्राम-संगठन के कार्यालय हेतु मासिक देय भाड़ा का निर्वहन किया जायेगा, जिसकी राशि 500-800 रूपये प्रतिमाह होगी।

उपर्युक्त वर्णित समस्त रणनीति को सभी निबंधित/निबंधन हेतु प्रेषित ग्राम-संगठन एवं संकुल संघ में क्रियान्वित करने की जरूरत है। इन कार्यो के सफल संपादन हेतु एक प्रशिक्षण अधिकारी/ प्रबंधक को जिला स्तर पर निरंतर कार्य करना होगा जिसके लिये जिम्मेदारी का अतिशीघ्र निर्धारण सुनिश्चित करें। इसके साथ पूर्व कार्यालय आदेशानुसार (BRLPS/Proj-IBCB/782/15/579 दिनांक 04.05.2017) के अनुरूप सम्बंधित प्रबंधक-संस्थागत निर्माण एवं क्षमता वर्धन और प्रबंधक-कम्युनिटी फाइनेंस वर्णित कार्यो को ससमय सफलता पूर्वक सम्पादित करेंगे। इस सघन कार्य हेतु संबधित प्रखंड परियोजना प्रबंधक, सम्बंधित ग्राम-संगठन/संकुल संघ के प्रति उत्तरदायी क्षेत्रीय समन्वयक/ सामुदायिक समन्वयक एवं प्रखंड मेंटर निबंधित ग्रामसंगठनों एवं संकुल संघों के प्रतिनिधियों की मासिक समीक्षा सम्बंधित संकुल संघ की बैठक में एवं जिला परियोजना प्रबंधक द्वारा जिला स्तर पर की जायेगी।

सभी जिला परियोजना प्रबंधकों को निदेशित किया जाता है कि इस कार्यालय आदेश को सभी निबंधित ग्राम संगठनों और संकुल संघों को प्रेषित करते हुए वर्णित रणनीति को तत्काल प्रभाव से लागू करवाना सुनिश्चित करें।

23/10/17

(बालामुरूगन डी०)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

प्रतिलिपि :-

1. OSD/Director/PCs/CFO/AO
2. All SPM/PM/SFMs/AFMs
3. All DPMs/FMs/Manager-IB & CB/ Manager-CF/MF/BPMs
4. All registered CLFs/VOs
5. IT section

(Annexure-I)

अनुबंध प्रपत्र

अनुबंध संख्या : _____

यह अनुबंध प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई, _____ (प्रथम पक्ष) जो आगे बि० पि० आइ० यु० के नाम से जाना जायेगा,

एवं

_____ जीविका महिला ग्राम संगठन, द्वितीय पक्ष जो आगे _____ जीविका महिला स्वाबलंबी सहकारी समिति लि० _____ के नाम से जाना जायेगा, के बीच दो पक्षीय समझौता है । यह अनुबंध दोनों पक्ष के प्राधिकृत प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर की तिथि से प्रभावी होगा । यह अनुबंध बिना दबाव एवं स्वेच्छा से किया गया अनुबंध है , जो परियोजना से सम्बंधित कार्यों के सफल क्रियान्वयन हेतु मान्य समझा जायेगा ।

अनुबंध की शर्तें:-

1. ग्राम संगठन जीविका द्वारा प्रदत्त राशि के उपयोग के लिए एक अलग बैंक खाता खोलेगा । इस खाता का संचालन संयुक्त रूप से ग्राम-संगठन कार्यालय संचालकों द्वारा किया जायेगा।

2. जीविका द्वारा अधिस्थापित प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई (बी0पी0आई0यू0) के सहयोग से ग्राम संगठन वार्षिक कार्ययोजना तैयार करेगा एवं उसे क्रियान्वित करेगा।

3. ग्राम संगठन स्वयं सहायता समूहों सुदृधिकरण के लिए समय -समय पर प्राप्त जीविका के निर्देशों का अनुपालन करेगा ।

4. ग्राम संगठन जीविका द्वारा आयोजित मीटिंग, प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगा ।

5. ग्राम संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि जीविका द्वारा दिए जानेवाले अनुदान अथवा ऋण केवल उन्ही समूहों या उनके सदस्यों को दिया जाए जो निर्धारित नियमों का अनुपालन करें ।

6. ग्राम संगठन एवं उससे जुड़े सभी सदस्य नियमावली एवं पारदर्शिता के सिद्धांतों का पालन करेंगे। ग्राम संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि इसके अधीन विभिन्न क्रियाशील उपसमितियाँ दक्षता के साथ प्रभावी तरीके से संचालित हो रही हैं।

7. संबंधित मार्गदर्शिका एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों में निर्धारित मापदंडों के पूरा होने के उपरांत ही ग्राम संगठन को राशि विमुक्त की जाएगी।

8. ग्राम संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा सीधे संचालित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु सामग्री एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति एवं सामग्रियों का क्रय - विक्रय मार्गदर्शिका में निर्धारित मानदंडों एवं जीविका द्वारा समय-समय पर अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार ही हो।

9. अपनी 'सामाजिक अंकेक्षण समिति' के माध्यम से ग्राम-संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि परियोजना द्वारा दी गई निधियों का उपयोग सूक्ष्म नियोजन (माइक्रो प्लानिंग) एवं प्रचलित सामुदायिक मार्गदर्शिका (कम्यूनिटी ऑपरेशनल मैनुअल) के अनुसार आम सहमति के आधार पर हो। इस अनुबंध पत्र के अन्तर्गत ग्राम संगठन स्वयं सहायता

समूहों को दिये गये ऋण के विषय में ऋण वसूली समिति की सहमति तथा प्राप्त शर्तों के अनुरूप समय पर ऋण की वापसी सुनिश्चित करेगा। निधि के वास्तविक उपयोग में होने वाले किसी बदलाव की समुचित सूचना दी जाएगी ताकि जरूरी सुधारात्मक प्रक्रिया ग्राम संगठन द्वारा स्वीकृत एवं संपुष्ट की जा सके ।

10. ग्राम संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि स्वयं सहायता समूहों के अभिलेखों एवं लेखा पुस्तकों का संधारण नियमित आधार पर हो तथा उनके द्वारा जीविका को वित्तीय जानकारी नियमित रूप से समर्पित की जाय। ग्राम संगठन यह भी सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में इसका लेखा पूर्ण कर लिया जाए तथा जीविका द्वारा निर्दिष्ट मार्गदर्शिका अथवा नियमावली के अनुसार इन लेखा कार्यों का अंकेक्षण करा लिया जाये।

11. ग्राम संगठन निष्पक्षता, समानता एवं पारदर्शिता के अनुसार विविध आजीविका एवं सामाजिक विकास संबंधी कार्यक्रमों/ प्रयासों को लागू करेगा। इसके द्वारा आरंभ किये जाने वाले समस्त संपोषित कार्यक्रमों में सभी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ महादलित परिवारों को सम्मिलित करने के लिये विशिष्ट प्रयास किये जायेंगे।

12. ग्राम संगठन इस बात पर सहमत है कि जीविका द्वारा समय-समय पर निर्गत नीतियों एवं मार्गदर्शन में निर्धारित विधि के अनुसार ऋण घटक के मूल एवं ब्याज राशि की स्वयं सहायता समूहों से ससमय वापसी सुनिश्चित हो ।

13. ग्राम संगठन ऐसे किसी भी नियम का पालन करेगा जो स्वयं सहायता समूहों को ज्यादा सुविधा प्रदान करने के प्रयोजन से जीविका द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो।

14. ग्राम संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि इस अनुबंध के तहत चिह्नित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु स्वयं सहायता समूह को ससमय स्वीकृति एवं राशि विमुक्ति हो।

15. ग्राम संगठन और समय-समय पर बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति / राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा निर्गत कार्यादेश, जो कि करार का हिस्सा होगा, के अनुसार कार्य सम्पादन हेतु जवाबदेह होगा।

16. ग्राम संगठन इस संविदा के अंतर्गत वर्णित कार्यो में लगे अपने सदस्यों को प्रदत धन-सम्पति यदि कोई है, का समुचित बीमा संरक्षण सुनिश्चित करने के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के नुकसान, लागत खर्च या शुल्क की क्षतिपूर्ति हेतु जवाबदेह होगा और अगर

किसी भी व्यक्ति, जिसका नियोजन ग्राम संगठन ने किया है और उसका किसी प्रकार से दुर्घटना हुई हो या किसी की सम्पति की क्षति हुई हो और उस हेतु यदि कोई अधिनिर्णय और पंचाट द्वारा क्षतिपूर्ति निर्धारित हो, इसकी प्रतिपूर्ति ग्राम संगठन करेगा। बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति / राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन उसके लिए जवाबदेह नहीं होगा।

17. ग्राम संगठन सहमत है कि अनुबंध लागू रहने के दौरान या इसके रद्द होने या समापन की स्थिति में जुड़े व्यक्ति, उप-अनुबंधकर्ता, अभिकर्ता, पदाधिकारी या परियोजना कर्मी द्वारा किये गए कार्यों, गलतियों की जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी।

18. ग्राम संगठन द्वारा सभी प्रकार के टैक्स, फीस, लेवी एवं विधि द्वारा स्थापित अन्य टैक्स का भुगतान किया जाएगा तथा बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना / राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इस संबंध में वैसे कार्य करेगा जिससे विधिसम्मत रूप से उन टैक्सों की वसूली सुनिश्चित हो सके।

19. ग्राम संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि निदेशक मंडल की बैठक नियमित रूप से हो तथा बैठक का कोरम पूरा हो । कोरम के अभाव में कोई भी निर्णय मान्य नहीं होगा ।

20. ग्राम संगठन प्रत्येक वर्ष अंकेक्षित लेखा रिपोर्ट वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक माह के भीतर संबधित बि० पि० आइ० यु ० में जमा करेगा ।

21. ग्राम संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि कार्यक्षेत्र के अंतर्गत सभी स्वयं सहायता समूहों की नियमित बैठक हो ।

22. एकरारनामे के तहत जीविका द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शिका के अनुसार ग्राम संगठन के माध्यम से सामुदायिक निवेश निधि, सामुदायिक संस्थागत विकास निधि एवं विशेष तकनीकी सहयोग निधि के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अनुदान स्वयं सहायता समूहों को दिए जायेंगे। ग्राम संगठन को दिया जानेवाला अन्य सहयोग भी मार्गदर्शिका के अनुसार ही होगा ।

23. जीविका अधीन ग्राम संगठन प्रखंड स्तरीय संगठन के माध्यम से विभिन्न स्वयं सहायता समूहों को उनकी जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण, क्षमतावर्धन, तकनीकी सहयोग और आवश्यकता आधारित संपोषण प्रदान करेगी। विभिन्न जीविकोपार्जन उन्मुखी प्रयासों के

प्रभावी क्रियान्वयन हेतु यह अन्य विभागों तथा संस्थाओं से वांछित समन्वयन भी सुनिश्चित करेगी।

24. जीविका द्वारा प्राप्त निधि का गलत उपयोग एकरारनामे का उल्लंघन अथवा ग्राम संगठन द्वारा किसी शर्त या अपेक्षा का अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में ग्राम संगठन को दिया जाने वाला वित्तीय सहायता रदद् कर दी जायेगी और/ अथवा इस एकरारनामे के तहत उपलब्ध कराये गये सहयोग/ सहयोग राशि की वापसी कर ली जायेगी।

25. सामग्री की अधिप्राप्ति एवं उपयोग का अंकेक्षण जीविका द्वारा किया जायेगा और ग्राम संगठन इसके लिए सहमत है कि इस हेतु मांग किये जाने पर जीविका को लेखा-जोखा से संबंधित पुस्तिका के अतिरिक्त अन्य जरूरी विवरण उपलब्ध करा दिये जायेंगे।

26. सभी प्रशासनिक उद्देश्ययों की पूर्ति के लिए बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति /राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी / अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि में प्रशासनिक शक्तियाँ निहित रहेंगी तथा वर्णित कार्यो के सम्पादन हेतु सभी आवश्यक सूचनायें अनुदानग्रहीता को बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति / राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

27. बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति / राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इसकी अवधि को जैसे और जब आवश्यक समझेगा, कार्य/अनुबंध अवधि कम या अधिक अथवा रद्द कर सकेगा और इसकी पूर्व सूचना अनुदानग्रहीता को दी जायेगी। इस संबध में मुख्य कार्यपालकपदाधिकारी / अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा किये गए निर्णय के विरुद्ध ग्राम संगठन को बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति / राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के खिलाफ किसी भी प्रकार का विरोधए प्रश्न, दावा या विवाद का अधिकार नहीं होगा।

28. ग्राम संगठन को दिया गया कार्य बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति / राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा बिना कारण बताये 7 दिन पूर्व सूचना देकर रद्द किया जा सकेगा। बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति / राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा कार्य का मूल्यांकन ग्राम संगठन को सभी प्रकार के प्रतिवेदन, आँकड़े एवं जानकारी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन

प्रोत्साहन समिति / राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा की गयी कार्रवाई के विरुद्ध ग्राम संगठन को किसी प्रकार के सवाल या अपील का अधिकार नहीं होगा।

29. ग्राम संगठन द्वारा बिना शर्त इस पत्र पर स्वीकृति एवं मूल प्रति बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति / राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को वापस किये जाने के पश्चात ही समझौता प्रभावी होगा । अगर कार्य का स्वरुप समान हो और अथवा कार्य को उसी क्षेत्र/ जगह में क्रियान्वित करना हो तो इस दो पक्षीय करार को बढ़ाया जा सकता है जिसका निर्णय बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति / राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा ग्राम संगठन के कार्य के मूल्यांकन एवं परियोजना की आवश्यकता के अनुसार लिया जाएगा।

30. यदि संविदा से संबंधित किसी प्रकार का विवाद या गलतफहमी किसी पक्ष में होगा तो 30 दिन की पूर्व स्पष्ट सूचना देकर पक्ष Arbitration and Conciliation Act 1996 तहत विवाद निबटारा हेतु CEO/ Addl.CEO के समक्ष वाद लायेगा, CEO/ Addl.CEO या उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि का निर्णय अंतिम रूप से मान्य और बाध्यकारी और बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति / राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्य दो व्यक्ति को Arbitration Tribunal के सदस्य के रूप में नामित करेंगे और एक्ट के तहत प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे।

31. ग्राम संगठन द्वारा ऊपर वर्णित एवं संलग्न नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन अथवा संदर्भ के बिंदु दिशा निर्देश के अनुसार प्रदत्त कार्य की अपूर्णता की स्थिति में CEO/ Addl.CEO द्वारा गठित समीक्षा समिति का निर्णय अंतिम होगा।

32. यदि यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रदत्त कार्य जैसा कि ऊपर वर्णित है, के अनुरूप नहीं हो रहा है तो बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति / राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किसी भी समय अनुबंध वापस या समाप्त कर सकता है, यदि बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति / राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सन्तुष्ट हो जाता है की ग्राम संगठन प्रदत्त कार्य को दिशा निर्देश अथवा संलग्न शर्तों के अनुरूप करने में असफल है या कार्य के प्रति जवाबदेह नहीं है या जान बूझकर परियोजना या सम्पति को नुकसान पहुँचाता है, तो भुगतान की गयी राशि क्षति लागत सहित वापस लेने के लिए स्वंतंत्र होगा।

33. यदि कोर्ट द्वारा किसी प्रकार की क्षति- पूर्ति का दावा किया गया हो तो उन सभी के लिए संकुल संघ देनदार होगा, भले ही एकरारनामा की समयावधि समाप्त हो गयी हो या

बिहारग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति / राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा एकरारनामा रदद् कर दिया गया। ग्राम संगठन इस प्रकार के सभी दावों, मांगों, क्षति-पूर्ति आदि, जिसका निर्धारण सक्षम न्यायालय द्वारा किया गया हो, की क्षतिपूर्ति के लिए जवाबदेह रहेगा।

34. संविदा संबंधी सभी वाद पटना उच्च न्यायालय के अधीनस्थ होंगे।

दोनों पक्ष के प्राधिकृत प्रतिनिधि उक्त अनुबंधित शर्तो के आलोक में परियोजना संबधित कार्यों के सफल क्रियान्वन हेतु निम्न तारीख, माह एवं वर्ष को हस्ताक्षर करते हैं ।

प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई ....., प्रथम पक्ष की और से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हस्ताक्षर नाम तारीख	.....ग्राम संगठन....., द्वितीय पक्ष की और से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हस्ताक्षर नाम तारीख
गवाह का हस्ताक्षर नाम तारीख	गवाह का हस्ताक्षर नाम तारीख

अनुबंध प्रपत्र

अनुबंध संख्या : _____

यह अनुबंध प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई, _____ (प्रथम पक्ष) जो आगे बि० पि० आइ० यु० के नाम से जाना जायेगा,

एवं

_____संकुल संघ, द्वितीय पक्ष जो आगे _____ जीविका महिला स्वाबलंबी केंद्रीय सहकारी समिति लि० _____ के नाम से जाना जायेगा, के बीच दो पक्षीय समझौता है । यह अनुबंध दोनों पक्ष के प्राधिकृत प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर की तिथि से प्रभावी होगा । यह अनुबंध बिना दबाव एवं स्वेच्छा से किया गया अनुबंध है , जो परियोजना से सम्बंधित कार्यों के सफल क्रियान्वयन हेतु मान्य समझा जायेगा ।

अनुबंध की शर्तें:-

1. संकुल संघ जीविका द्वारा प्रदत्त राशि के उपयोग के लिए एक अलग बैंक खाता खोलेगा । इस खाता का संचालन संयुक्त रूप से संकुल संघ कार्यालय संचालकों द्वारा किया जायेगा।

2. जीविका द्वारा अधिस्थापित प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई (बी0पी0आई0यू0) के सहयोग से संकुल संघ वार्षिक कार्ययोजना तैयार करेगा एवं उसे क्रियान्वित करेगा।

3. संकुल संघ ग्राम संगठनों / स्वयं सहायता समूहों सुदृधिकरण के लिए समय -समय पर प्राप्त जीविका के निर्देशों का अनुपालन करेगा ।

4. संकुल संघ जीविका द्वारा आयोजित मीटिंग, प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगा ।

5. संकुल संघ यह सुनिश्चित करेगा कि जीविका द्वारा दिए जानेवाले अनुदान अथवा ऋण केवल उन्ही समूहों या उनके सदस्यों को दिया जाए जो निर्धारित नियमों का अनुपालन करें ।

6. संकुल संघ एवं उससे जुड़े सभी सदस्य नियमावली एवं पारदर्शिता के सिद्धांतों का पालन करेंगे। संकुल संघ यह सुनिश्चित करेगा कि इसके अधीन विभिन्न क्रियाशील उपसमितियाँ दक्षता के साथ प्रभावी तरीके से संचालित हो रही हैं।

7. संबंधित मार्गदर्शिका एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों में निर्धारित मापदंडों के पूरा होने के उपरांत ही संकुल संघ को राशि विमुक्त की जाएगी।

8. संकुल संघ यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा सीधे संचालित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु सामग्री एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति एवं सामग्रियों का क्रय - विक्रय मार्गदर्शिका में निर्धारित मानदंडों एवं जीविका द्वारा समय-समय पर अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार ही हो।

9. अपनी 'सामाजिक अंकेक्षण समिति' के माध्यम से संकुल संघ यह सुनिश्चित करेगा कि परियोजना द्वारा दी गई निधियों का उपयोग सूक्ष्म नियोजन (माइक्रो प्लानिंग) एवं प्रचलित सामुदायिक मार्गदर्शिका (कम्यूनिटी ऑपरेशनल मैनुअल) के अनुसार आम

सहमति के आधार पर हो। इस अनुबंध पत्र के अन्तर्गत संकुल संघ द्वारा ग्राम संगठनों / स्वयं सहायता समूहों को दिये गये ऋण के विषय में ऋण वसूली समिति की सहमति तथा प्राप्त शर्तों के अनुरूप समय पर ऋण की वापसी सुनिश्चित करेगा। निधि के वास्तविक उपयोग में होने वाले किसी बदलाव की समुचित सूचना दी जाएगी ताकि जरूरी सुधारात्मक प्रक्रिया ग्राम संगठन द्वारा स्वीकृत एवं संपुष्ट की जा सके ।

10. संकुल संघ यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राम संगठनों / स्वयं सहायता समूहों के अभिलेखों एवं लेखा पुस्तकों का संधारण नियमित आधार पर हो तथा उनके द्वारा जीविका को वित्तीय जानकारी नियमित रूप से समर्पित की जाय। संकुल संघ यह भी सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में इसका लेखा पूर्ण कर लिया जाए तथा जीविका द्वारा निर्दिष्ट मार्गदर्शिका अथवा नियमावली के अनुसार इन लेखा कार्यों का अंकेक्षण करा लिया जाये।

11. संकुल संघ निष्पक्षता, समानता एवं पारदर्शिता के अनुसार विविध आजीविका एवं सामाजिक विकास संबंधी कार्यक्रमों/ प्रयासों को लागू करेगा। इसके द्वारा आरंभ किये जाने वाले समस्त संपोषित कार्यक्रमों में सभी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ महादलित परिवारों को सम्मिलित करने के लिये विशिष्ट प्रयास किये जायेंगे।

12. संकुल संघ इस बात पर सहमत है कि जीविका द्वारा समय-समय पर निर्गत नीतियों एवं मार्गदर्शन में निर्धारित विधि के अनुसार ऋण घटक के मूल एवं ब्याज राशि की स्वयं सहायता समूहों से ससमय वापसी सुनिश्चित हो ।

13. संकुल संघ ऐसे किसी भी नियम का पालन करेगा जो स्वयं सहायता समूहों को ज्यादा सुविधा प्रदान करने के प्रयोजन से जीविका द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो।

14. संकुल संघ यह सुनिश्चित करेगा कि इस अनुबंध के तहत चिह्नित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु स्वयं सहायता समूह को ससमय स्वीकृति एवं राशि विमुक्ति हो।

15. संकुल संघ और समय-समय पर बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति / राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा निर्गत कार्यादेश, जो कि करार का हिस्सा होगा, के अनुसार कार्य सम्पादन हेतु जवाबदेह होगा।

16. संकुल संघ इस संविदा के अंतर्गत वर्णित कार्यों में लगे अपने सदस्यों को प्रदत धन-सम्पति यदि कोई है, का समुचित बीमा संरक्षण सुनिश्चित करने के अतिरिक्त किसी भी

प्रकार के नुकसान, लागत खर्च या शुल्क की क्षतिपूर्ति हेतु जवाबदेह होगा और अगर किसी भी व्यक्ति, जिसका नियोजन संकुल संघ ने किया है और उसका किसी प्रकार से दुर्घटना हुई हो या किसी की सम्पति की क्षति हुई हो और उस हेतु यदि कोई अधिनिर्णय और पंचाट द्वारा क्षतिपूर्ति निर्धारित हो, इसकी प्रतिपूर्ति संकुल संघ करेगा। बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति / राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन उसके लिए जवाबदेह नहीं होगा।

17. संकुल संघ सहमत है कि अनुबंध लागू रहने के दौरान या इसके रद्द होने या समापन की स्थिति में जुड़े व्यक्ति, उप-अनुबंधकर्ता, अभिकर्ता, पदाधिकारी या परियोजना कर्मी द्वारा किये गए कार्यों, गलतियों की जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी।

18. संकुल संघ द्वारा सभी प्रकार के टैक्स, फीस, लेवी एवं विधि द्वारा स्थापित अन्य टैक्स का भुगतान किया जाएगा तथा बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना / राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इस संबंध में वैसे कार्य करेगा जिससे विधिसम्मत रूप से उन टैक्सों की वसूली सुनिश्चित हो सके।

19. संकुल संघ यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राम संगठन और संकुल संघ के निदेशक मंडल की बैठक नियमित रूप से हो तथा बैठक का कोरम पूरा हो । कोरम के अभाव में कोई भी निर्णय मान्य नहीं होगा ।

20. संकुल संघ प्रत्येक वर्ष अंकेक्षित लेखा रिपोर्ट वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक माह के भीतर संबधित बि० पि० आइ० यु ० में जमा करेगा ।

21. संकुल संघ यह सुनिश्चित करेगा कि कार्यक्षेत्र के अंतर्गत सभी ग्राम संगठनों की नियमित बैठक एवं वार्षिक आमसभा हो तथा ग्राम संगठनों का विवरण दाखिला (Return Filing) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सितम्बर माह के अन्दर कर लिया जाय ।

22. एकरारनामे के तहत जीविका द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शिका के अनुसार संकुल संघ के माध्यम से सामुदायिक निवेश निधि, सामुदायिक संस्थागत विकास निधि एवं विशेष तकनीकी सहयोग निधि के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अनुदान ग्राम संगठनों / स्वयं सहायता समूहों को दिए जायेंगे। संकुल संघ को दिया जानेवाला अन्य सहयोग भी मार्गदर्शिका के अनुसार ही होगा ।

23. जीविका संकुल संघ के माध्यम से विभिन्न स्वयं सहायता समूहों को उनकी जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण, क्षमतावर्धन, तकनीकी सहयोग और आवश्यकता आधारित संपोषण प्रदान करेगी। विभिन्न जीविकोपार्जन उन्मुखी प्रयासों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु यह अन्य विभागों तथा संस्थाओं से वांछित समन्वयन भी सुनिश्चित करेगी।

24. जीविका द्वारा प्राप्त निधि का गलत उपयोग, एकरारनामे का उल्लंघन अथवा संकुल संघ द्वारा किसी शर्त या अपेक्षा का अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में संकुल संघ को दिया जाने वाला वित्तीय सहायता रदद् कर दी जायेगी और/ अथवा इस एकरारनामे के तहत उपलब्ध कराये गये सहयोग/ सहयोग राशि की वापसी कर ली जायेगी।

25. सामग्री की अधिप्राप्ति एवं उपयोग का अंकेक्षण जीविका द्वारा किया जायेगा और संकुल संघ इसके लिए सहमत है कि इस हेतु मांग किये जाने पर जीविका को लेखा-जोखा से संबंधित पुस्तिका के अतिरिक्त अन्य जरूरी विवरण उपलब्ध करा दिये जायेंगे।

26. सभी प्रशासनिक उद्देश्ययों की पूर्ति के लिए बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति /राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी / अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि में प्रशासनिक शक्तियाँ निहित रहेंगी तथा वर्णित कार्यों के सम्पादन हेतु सभी आवश्यक सूचनायें अनुदानग्रहीता को बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति / राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

27. बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति / राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इसकी अवधि को जैसे और जब आवश्यक समझेगा, कार्य/अनुबंध अवधि कम या अधिक अथवा रद्द कर सकेगा और इसकी पूर्व सूचना अनुदानग्रहीता को दी जायेगी। इस संबध में मुख्य कार्यपालकपदाधिकारी / अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा किये गए निर्णय के विरुद्ध ग्राम संगठन को बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति / राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के खिलाफ किसी भी प्रकार का विरोधए प्रश्न, दावा या विवाद का अधिकार नहीं होगा।

28. संकुल संघ को दिया गया कार्य बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति / राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा बिना कारण बताये 7 दिन पूर्व सूचना देकर रद्द किया जा सकेगा। बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति / राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा कार्य का मूल्यांकन ग्राम संगठन को सभी प्रकार के प्रतिवेदन, आँकड़े एवं जानकारी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति

/ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा की गयी कार्रवाई के विरुद्ध ग्राम संगठन को किसी प्रकार के सवाल या अपील का अधिकार नहीं होगा।

29. संकुल संघ द्वारा बिना शर्त इस पत्र पर स्वीकृति एवं मूल प्रति बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति / राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को वापस किये जाने के पश्चात ही समझौता प्रभावी होगा । अगर कार्य का स्वरुप समान हो और अथवा कार्य को उसी क्षेत्र/ जगह में क्रियान्वित करना हो तो इस दो पक्षीय करार को बढ़ाया जा सकता है जिसका निर्णय बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति / राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा ग्राम संगठन के कार्य के मूल्यांकन एवं परियोजना की आवश्यकता के अनुसार लिया जाएगा।

30. यदि संविदा से संबंधित किसी प्रकार का विवाद या गलतफहमी किसी पक्ष में होगा तो 30 दिन की पूर्व स्पष्ट सूचना देकर पक्ष Arbitration and Conciliation Act 1996 तहत विवाद निबटारा हेतु CEO/ Addl.CEO के समक्ष वाद लायेगा, CEO/ Addl.CEO या उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि का निर्णय अंतिम रूप से मान्य और बाध्यकारी और बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति / राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्य दो व्यक्ति को Arbitration Tribunal के सदस्य के रूप में नामित करेंगे और एक्ट के तहत प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे।

31. संकुल संघ द्वारा ऊपर वर्णित एवं संलग्न नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन अथवा संदर्भ के बिंदु दिशा निर्देश के अनुसार प्रदत्त कार्य की अपूर्णता की स्थिति में CEO/ Addl.CEO द्वारा गठित समीक्षा समिति का निर्णय अंतिम होगा।

32. यदि यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रदत्त कार्य जैसा कि ऊपर वर्णित है, के अनुरूप नहीं हो रहा है तो बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति / राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किसी भी समय अनुबंध वापस या समाप्त कर सकता है, यदि बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति / राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सन्तुष्ट हो जाता है की ग्राम संगठन प्रदत्त कार्य को दिशा निर्देश अथवा संलग्न शर्तों के अनुरूप करने में असफल है या कार्य के प्रति जवाबदेह नहीं है या जान बूझकर परियोजना या सम्पति को नुकसान पहुँचाता है, तो भुगतान की गयी राशि क्षति लागत सहित वापस लेने के लिए स्वंतंत्र होगा।

33. यदि कोर्ट द्वारा किसी प्रकार की क्षति- पूर्ति का दावा किया गया हो तो उन सभी के लिए संकुल संघ देनदार होगा, भले ही एकरारनामा की समयावधि समाप्त हो गयी हो या

बिहारग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति / राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा एकरारनामा रदद् कर दिया गया। ग्राम संगठन इस प्रकार के सभी दावों, मांगों, क्षति-पूर्ति आदि, जिसका निर्धारण सक्षम न्यायालय द्वारा किया गया हो, की क्षतिपूर्ति के लिए जवाबदेह रहेगा।

34. संविदा संबंधी सभी वाद पटना उच्च न्यायालय के अधीनस्थ होंगे।

दोनों पक्ष के प्राधिकृत प्रतिनिधि उक्त अनुबंधित शर्तो के आलोक में परियोजना संबधित कार्यों के सफल क्रियान्वन हेतु निम्न तारीख, माह एवं वर्ष को हस्ताक्षर करते हैं ।

प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई, ... प्रथम पक्ष की और से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हस्ताक्षर नाम तारीख	.....संकुल संघ....., द्वितीय पक्ष की और से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हस्ताक्षर नाम तारीख
गवाह का हस्ताक्षर नाम तारीख	गवाह का हस्ताक्षर नाम तारीख

Annexure- III

प्रस्तावित .....जीविका महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति लि0, ...
सदस्यता हेतु आवेदन का प्रपत्र

सेवा में,
निदेशक मंडल (द्वारा सचिव/मुख्य प्रवर्त्तक),
.....जीविका महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति लि0, ...

महोदय/महोदया,

मैं, एतद् द्वारा .....जीविका महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति लि0, ...की सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए आवेदन करती हूँ। मैंने समिति की उपविधियॉं को ध्यानपूर्वक पढ लिया है/ समिति की उपविधियॉं मुझे पढकर सुना दी गई हैं और मैं इनका अनुपालन करने हेतु सहमत हूँ।

मैं आपसे समिति के 10 (दस) शेयर आवंटित करने का अनुरोध करती हूँ और एतद् द्वारा इसे स्वीकार करने की सहमति देती हूँ। यदि मुझे इससे कम शेयर भी आवंटित किया जायेगा तो मुझे स्वीकार होगा।

मैं, एतद् द्वारा घोषणा करती हूँ कि मैं बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 या बिहार सहकारी समिति अधिनियम, 1935 के अधीन निबंधित ऐसी या समान सेवा देने वाली किसी अन्य सहकारी समिति की सदस्य नहीं हूँ और न ही किसी निबंधित सहकारी समिति का बकायेदार हूँ।

मैं, एतद् द्वारा अपने नामित व्यक्ति को मनोनीत करती हूँ, जिसे मेरी मृत्यु के बाद मेरे शेयर , जमा एवं अन्य कोई हित अंतरित किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

स्थान:-
दिनांक:-
आवेदक का पूरा नाम : ..... पिता/पति का नाम : .....
उम्र : ..... वर्ष।
स्थायी पता : ग्राम – ....., डाकघर - ..... , थाना –.....,जिला :.....
वर्तमान पता : ग्राम – ....., डाकघर - ..... , थाना –.....जिला : .....
नामित व्यक्ति का नाम :
सदस्य के साथ रिश्ता :
हम समिति के अधोहस्ताक्षरी सदस्य अनुशंसा करते हैं कि श्री / सुश्री/श्रीमती .....को समिति के सदस्य के रूप में शामिल कर लिया जाय।

हस्ताक्षर 1..... 2.....

कार्यालय प्रयोग के लिए

निदेशक मंडल की बैठक दिनांक ..... में पारित प्रस्ताव संख्या ..... द्वारा ..... शेयर आवंटित किये गये।रसीद संख्या ..... दिनांक..... द्वारा रूपये ..... जमा किया गया।

सचिव/ मुख्यप्रवर्तक

Annexure- III

प्रस्तावित .....जीविका महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति लि0, ...
.....के प्रवर्त्तक सदस्यों द्वारा

घोषणा–पत्र/शपथ–पत्र

मै,श्रीमती/सुश्री ..... उम्र ..... वर्ष,
पिता/पति का नाम.....
जो ग्राम/टोला .....डाकघर ..... थाना.....,
प्रखंड ....., अनुमंडल .....,जिला ..... की निवासी हूँ,
एतद् द्वारा शपथपूर्वक घोषणा करती हूँ कि,

1. मै अपने परिवार की एकमात्र सदस्य हूँ, जिसने इस समिति की सदस्यता के लिए आवेदन किया है। [देखें :बिहार स्वावलम्बी सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1996 की धारा 2 (ण)]

2. मै बिहार स्वावलम्बी सहकारी समितियॉ अधिनियम,1996 बिहार सहकारी समितियॉ अधिनियम,1935 के अन्तर्गत निबंधित समान सेवा देने वाली किसी अन्य सहकारी समिति की सदस्य नहीं हूँ।
   [देखें : बिहार स्वावलम्बी सहकारी समितियॉ अधिनियम, 1996 की धारा 23(1)]

3. उपर्युक्त घोषणा मेरी जानकारी में सही है।

_____

घोषणाकर्त्ता सदस्य का पूरा हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान

कार्यालय उपयोग के लिये

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त घोषणा मेरी जानकारी में सही है। सदस्य ने घोषणा–पत्र पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर बनाया/अंगूठा का निशान लगाया।

_____

मुख्य प्रवर्त्तक सह अध्यक्ष

अंशपूंजी प्रमाण-पत्र

.....जीविका महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति लि0,.....

निबंधन सं0 : बी0 आर0/

(बिहार स्वावलम्बी सहकारी समितियॉ अधिनियम 1996 के अन्तर्गत निबंधित)

अंशपूंजी प्रमाण पत्र संख्या ..... दिनांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री/श्रीमति .....

पति/ पिता श्री .....

ग्राम .....डाकघर .....प्रखण्ड .....जिला ..... ने

..... जीविका महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति लि0, ... की उपविधियों को स्वीकार करते हुए सहकारी समिति का 10 (दस) शेयर / अंशपूंजी क्रमांक .....से ..... तक खरीदा है, जिसकी कीमत प्रति शेयर 10 (दस) रू0 की दर से कुल 100/रू0 मात्र चुकता की है। हिस्से की बिक्री या हस्तानान्तरण बिना सहकारी समिति की अनुमति के मान्य नहीं होगा, जिसका विवरण प्रमाण पत्र के पीठ पर अंकित है।

अंशपूंजी आवंटन की तिथि .....

प्रस्ताव सं0 .....

हस्ताक्षर

सचिव

हस्ताक्षर

अध्यक्ष

(मुहर के साथ)

अंशपूंजी हस्तानान्तरण का विवरण

दिनांक	अंशपूंजी हस्तानान्तरण रजिस्टर की पृष्ठ सं0	अंशपूंजी रजिस्टर की पृष्ठ सं0	निदेशक मंडल का प्रस्ताव सं0 एवं तिथि	हस्तानान्तरित अंशपूंजी लेनेवाले व्यक्ति का नाम	सचिव/ अध्यक्ष का हस्ताक्षर

अंशपूंजी प्रमाण-पत्र

.....जीविका महिला स्वावलम्बी सहकारी समिति लि0,.....

निबंधन सं0 : बी0 आर0/

(बिहार स्वावलम्बी सहकारी समितियॉ अधिनियम 1996 के अन्तर्गत निबंधित)

अंशपूंजी प्रमाण पत्र संख्या ..... दिनांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री/श्रीमति .....

पति/ पिता श्री .....

ग्राम .....डाकघर .....प्रखण्ड .....जिला ..... ने

..... जीविका महिला स्वावलम्बी सहकारी समिति लि0, ... की उपविधियों को स्वीकार करते हुए सहकारी समिति का 10 (दस)

शेयर / अंशपूंजी क्रमांक .....से ..... तक खरीदा है, जिसकी कीमत प्रति शेयर 10 (दस) रू0 की दर से कुल 100/रू0 मात्र चुकता की

है। हिस्से की बिक्री या हस्तानान्तरण बिना सहकारी समिति की अनुमति के मान्य नहीं होगा, जिसका विवरण प्रमाण पत्र के पीठ पर अंकित है।

अंशपूंजी आवंटन की तिथि ..... प्रस्ताव सं0 .....

हस्ताक्षर

सचिव

हस्ताक्षर

अध्यक्ष

(मुहर के साथ)

अंशपूंजी हस्तानान्तरण का विवरण

दिनांक	अंशपूंजी हस्तानान्तरण रजिस्टर की पृष्ठ सं0	अंशपूंजी रजिस्टर की पृष्ठ सं0	निदेशक मंडल का प्रस्ताव सं0 एवं तिथि	हस्तानान्तरित अंशपूंजी लेनेवाले व्यक्ति का नाम	सचिव/ अध्यक्ष का हस्ताक्षर

निबंधन प्रमाण पत्र

(बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के अधीन स्वावलम्बी सहकारी समिति के निबंधन के संबंध में)

प्रमाणित किया जाता है कि बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 (बिहार अधिनियम 2, 1997) धारा 5 के अधीन.....

.....

..... के

नाम से एक समिति का विधिवत निबंधन मेरे कार्यालय में किया गया है। इस समिति का निबंधित कार्यालय .....

.....

.....

.....

में है और कार्यक्षेत्र .....है।

समिति की निबंधन संख्या [ ] है।

समिति की उपविधियाँ भी निबंधित कर दी गयी है।

इस प्रमाण पत्र पर मैने आज दिनांक .....

.....को हस्ताक्षर किया है और मोहर लगायी है।

मोहर